

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड मध्य प्रदेश

(समक्ष:-डी०सी० थपलियाल)

प्र०क्र० 162/2015 अ०फौ०

संस्थिति दिनांक 14.05.2015

1. पिपली उर्फ रामनिवास पुत्र माधों सिंह गुर्जर, उम्र 34 वर्ष।
2. अन्नू उर्फ शिवनाथ सिंह पुत्र माधोंसिंह, उम्र 26 वर्ष। निवासीगण ग्राम श्यामपुरा थाना गोहद चौराहा, जिला भिण्ड म०प्र०।

.....अपीलार्थीगण/आरोपीगण

**बनाम**

म०प्र० शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र गोहद चौक,  
गोहद जिला भिण्ड म०प्र०।

.....प्रत्यर्थी/अभियोजन

---

अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी/अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर  
न्यायालय श्री केशवसिंह, जे०एम०एफ०सी० गोहद द्वारा दाण्डिक  
प्रकरण क्रमांक 190/2011 में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 24-04-2015  
से उत्पन्न दाण्डिक अपील क्रमांक 162/2015

---

// निर्णय //

(आज दिनांक 22-11-2016 को घोषित किया गया)

01. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(3) दं.प्र.सं. का निराकरण किया जा रहा है, जिसमें कि अपीलार्थीगण ने न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी गोहद पीठासीन अधिकारी- श्री केशवसिंह के द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 190/2011 ई.फौ. आरक्षी केन्द्र गोहद चौक वि० पिपली उर्फ रामनिवास आदि में पारित निर्णय व दण्डादेश दिनांक 24.04.2015 से व्यथित होकर पेश किया है, जिसमें अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण को धारा 323/34 भा०दं०वि० के तहत दोषी पाते हुए क्रमशः 3-3 माह का कठोर कारावास एवं 200-200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में क्रमशः 15-15 दिवस के अतिरिक्त साधारण

कारावास भुगताए जाने का आदेश दिया गया है।

02. अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से रहा है कि दिनांक 27.03.2011 को फरियादी ने उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट की, कि वह उक्त दिनांक को दोपहर 03:30 बजे अपने घर से टैक्टर लेकर हार को जा रहा था, जौं ही नहर की पुलिया के पास पहुँचा तभी अन्नू उर्फ शिवनाथ व माधोसिंह, रामनिवास ने उसका रास्ता रोक लिया। उसने कहा कि रास्ता क्यों रोका है तो उक्त तीनों लोगों उसे मादरचोद बहनचोद की गंदी गंदी गालियाँ देने लगे और मना किया तो अन्नू उर्फ शिवनाथ ने धारिया मारा जो उसके सिर में लगा चोट होकर खून निकल आया, रामनिवास ने सरिया मारा जो छाती पर लगा तथा माधोसिंह ने लाठी मारी मूदी चोटें आई। मौके पर धर्मेन्द्र, केशवसिंह ने आकर बीच बचाव किया तब माधोसिंह बोला कि मादरचोदों को बंदूक से जान से मार डालेंगे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना गोहद चौक 32/11 धारा 323, 294, 506बी, 341, 34 भा0दं0वि0 का पंजीबद्ध किया गया। आहत का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध विचारण हेतु अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

03. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 341, 294, 323/34, 506बी भा0दं0वि0 के संबंध में आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया आरोपीगण ने जुर्म अस्वीकार किया उनकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य उपरांत अभियुक्त परीक्षण कर एवं अंतिम तर्क सुने जाकर दिनांक 24.04.2015 को प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें कि आरोपीगण को कंडिका 01 में दर्शाए गए दण्डादेश के अनुसार दण्डित किया गया।

05. अपीलार्थीगण/आरोपीगण के द्वारा वर्तमान अपील मुख्य रूप से इन आधारों पर पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 24.04.2015 विधि विधान के विपरीत है। अभियोजन साक्षियों के कथनों में तात्त्विक प्रकार के विरोधाभास एवं विसंगतियाँ आई हैं जिन पर कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विचार न करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया गया है। चिकित्सक के द्वारा दिए गए अभिमतों व साक्ष्य पर भी उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के संबंध में तथा प्रतिपरीक्षण में आए हुए तथ्यों पर सूक्ष्मतः परीक्षण किए बिना प्रश्नाधीन निर्णय पारित किया गया है। साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाष एवं विसंगतियाँ आई हैं एवं उनके द्वारा अभियोजन कहानी का समर्थन भी नहीं किया गया है। इसके उपरांत भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा

आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराते हुए दण्डादेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित दोषसिद्ध व दण्डादेश को अपास्त करते हुए आरोपीगण को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया है।

06. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के दोषसिद्ध दण्डादेश को उचित रूप से पारित किया जाना बताते हुए उसमें किसी प्रकार हस्तक्षेप अथवा फेरबदल करने का कोई आधार न होना बताते हुए अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत वर्तमान अपील निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

07. अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में मुख्य रूप से विचारणीय यह है कि—

क्या अधीनस्थ विचारण न्यायालय का दोषसिद्ध आदेश एवं दण्डादेश दिनांक 24.04.2015 स्थिर रखे जाने योग्य न होकर अपास्त किए जाने योग्य है?

### ::- निष्कर्ष के आधार:-

08. डॉ० आलोक शर्मा अ०सा० 5 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में दिनांक 27.03.2011 को सी.एच.सी. गोहद में मेडीकल ऑफीसर के पद पर पदस्थ दौरान थाना गोहद चौराहा के आरक्षक अभिजीत नम्बर 1060 के द्वारा लाए जाने पर आहत रामबीर पुत्र जगमोहन निवासी श्यामपुरा का परीक्षण किया था जिसे निम्न चोटें पाई थी— (i) सिर के बीच में भाग पर 1.5 गुणा 0.3 गुणा 0.2 से.मी. का फटा हुआ घाँव था। (ii) आहत पेट में दर्द बता रहा था, जिसमें परीक्षण करने पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। (iii) बाईं कोहनी पर 2 गुणा 1 से.मी. छिलन का निशान। आहत को आई चोटें साधारण प्रकृति की होकर परीक्षण के 6 घण्टे के अंदर की थी जो कि किसी कड़े एवं भौथरी वस्तु से आना संभव थी। इस संबंध में तैयार मेडीकल रिपोर्ट प्र.पी. 8 है जिसके ए से ए भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं।

09. उपरोक्त घटना के संबंध में फरियादी/सूचनाकर्ता रामबीरसिंह गुर्जर अ०सा० 3 अपने साक्ष्य कथन में बताया है कि साक्ष्य (दिनांक 21.01.15) से चार पहले दिन के ढाई तीन बजे की घटना है। वह अपने खेतों पर जा रहा था तभी नहर की पुलिया के पास तभी माधोसिंह, पिपली व शिवनाथ ने उसके सामने टैक्टर आडा लगा दिया और बिना बजह गाली गलौज करने लगे तथा पिपली ने उसकी छाती में लोहे का सरिया मारा। उस समय माधोसिंह भी बंदूक लिए खड़े थे और गालियाँ दे रहे थे। धर्मेन्द्र व केशवसिंह के द्वारा बीच बचाव किया था। घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना गोहद चौराहा पर की गई जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया था।

10. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी केशवसिंह अ0सा0 2 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया है जिसके द्वारा कि बीच बचाव भी कराया गया है के द्वारा आरोपीगण एवं फरियादी को पहचानना स्वीकार करते हुए बताया है कि उक्त लोग उसके गांव है और फरियादी उसका भतीजा है। साक्षी ने बताया है कि आरोपीगण एवं फरियादी रामबीर के मध्य टैक्टर को लेकर विवाद हुआ था जिसमें उसके द्वारा गुत्थम गुत्था होते हुए देखा था, जिसमें कि रामबीर के सिर में चोट आई थी। शेष अभियोजन प्रकरण के संबंध में साक्षी के द्वारा नहीं बताया गया है जिस कारण उसे ए.डी.पी.ओ. के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान उसके द्वारा अभियोजन कहानी के समर्थन में कोई तथ्य नहीं आया है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षी रामवरन अ0सा0 1 के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है जिस कारण उसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

11. अभियोजन साक्षी बी.एल.बंसल अ0सा0 4 जिसने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखी है के द्वारा दिनांक 27.03.2011 को थाना गोहद चौराहा पर ए.एस.आई के पद पर पदस्थ दौरान आहत रामबीरसिंह गुर्जर के बताए अनुसार रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जो प्र.पी. 4 है जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण की विवेचना के दौरान उनके द्वारा उसी दिनांक को फरियादी के कथन लेखबद्ध किए थे एवं दिनांक 28.03.2011 को घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था तथा साक्षी धर्मेन्द्र व केशवसिंह के कथन लेखबद्ध किए थे एवं दिनांक 28.03.11 को ही आरोपीगण माधौसिंह, शिवनाथसिंह, रामनिवास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी. 5, 6, 7 बनाए थे जिनके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना बताया है।

12. बचाव पक्ष अधिवक्ता के द्वारा अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया गया है कि घटना के फरियादी के द्वारा किए गए कथनों में विरोधाभास आया है और उसके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट और न्यायालय में हुए कथनों में एक रूपता नहीं है। आहत को चिकित्सक के द्वारा जो चोटें बताई गई हैं वह मौखिक साक्ष्य से मेल नहीं खाती है। पक्षकारों के मध्य पूर्व से रंजिश चली आ रही है। अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य किसी भी साक्षी के द्वारा अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं किया गया है। ऐसी दशा में मात्र फरियादी के कथन के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती है। आरोपीगण की दोषसिद्ध स्थित नहीं रखी जा सकती है।

13. घटना के फरियादी रामबीरसिंह के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों का जहाँ तक प्रश्न है, प्रतिपरीक्षण कंडिका 4 में उसे चोट आना बताया है जो कि उसे धारिया मारना से वह गिर पडना और गिरने से कोहनी में चोट आना उसके द्वारा बताया गया है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि टैक्टर से उतरने पर उसका पैर ब्रेक पेंडल में फस गया था



जिस कारण वह रोड पर गिर गया था और सिर पर पत्थर टकराने से चोट आई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में अन्य सहआरोपी माधोसिंह के संबंध में फरियादी के द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है कि वह बंदूक लिए हुए दूर खड़ा था और इस आधार पर विचारण न्यायालय के द्वारा उक्त आरोपी माधोसिंह को घटना में शामिल होना न पाते हुए दोषमुक्त किया गया है। वर्तमान में विचारित किये जा रहे आरोपीगण पिपली उर्फ रामनिवास एवं अन्नू उर्फ शिवनाथ के संबंध में उसके द्वारा बताया गया है कि शिवनाथ ने उसे धारिया मारा था जो कि उसके सिर में लगा था और पिपली ने लोहे का सरिया मारा था जो उसकी छाती में लगा था।

14. साक्षी रामबीर के द्वारा यद्यपि अन्य सहआरोपी माधोसिंह के संबंध में यह बताया है कि घटना के समय वह बंदूक लेकर दूर खड़ा था और उसके अपराध में संलग्न होने के संबंध में कोई बात उसके द्वारा नहीं बताई गई है, किन्तु घटना के समय वर्तमान अपीलार्थी/आरोपगण पिपली उर्फ रामनिवास एवं अन्नू उर्फ शिवनाथ के उपस्थित होने एवं उनके द्वारा मारपीट की घटना कारित किये जाने के संबंध में फरियादी का कथन उसके प्रतिपरीक्षण उपरांत अखण्डनीय रहा है।

15. यह भी उल्लेखनीय है कि अभियोजन साक्षी केशवसिंह अ0सा0 2 के द्वारा जिसे कि अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, किन्तु मात्र इस आधार पर कि साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है उसके सम्पूर्ण साक्ष्य कथन को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, जो तथ्य अभियोजन प्रकरण की पुष्टि करता है उसे विचार में लिया जा सकता है। इस संबंध में साक्षी केशवसिंह के द्वारा घटना दिनांक को टैक्टर निकालने पर विवाद और झगड़ा होना व गुत्थम गुत्था होना तथा रामबीर के सिर में चोट देखना बताया है जो कि उक्त घटना रामबीर अपने खेत से बापस आ रहा था इस दौरान पुलिया के पास होना बताया है और उसके द्वारा बीच बचाव करना भी वह बता रहा है। ऐसी दशा में घटनास्थल पर घटना दिनांक को विवाद होना जिसमें कि मारपीट के दौरान आहत रामबीर को सिर में चोट आना और इस दौरान आरोपीगण की मौजूदगी और उनके द्वारा घटना कारित किये जाने की सम्पुष्टि उक्त साक्षी के कथन से भी होती है।

16. प्रकरण में चिकित्सक साक्ष्य के आधार पर भी आहत रामबीर के सिर में, हाथ की कोहनी में चोटें पाये जाने की पुष्टि होती है। इससंबंध में यद्यपि चिकित्सक के द्वारा सिर की चोट भौतरी वस्तु से आने के संबंध में बताया है। फरियादी धारिया से उसे चोट पहुँचाना बताया है, किन्तु फरियादी के द्वारा कहीं भी नहीं बताया गया है कि धारिया धार की तरफ से मारा गया था। निश्चित रूप से धारिया के दो सतह होते हैं, एक तरफ भौतरी सहत होती है और दूसरी तरफ धारदार सतह होती है और यदि भौतरी सतह से मारा जाए तो भौतरी प्रकार की

चोट आएगी। इस परिप्रेक्ष्य में चिकित्सक साक्षी को मौखिक साक्ष्य के अशंगत होना मानते हुए इस संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 323 भा०द०वि० हेतु यह आवश्यक नहीं है कि चोट बाहर से दिखे और यदि कोई सरिया मारना जो कि फरियादी बता रहा है उसका कोई निशान न आए तो इससे भी इस संबंध में कोई विपरीत निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के तुरन्त पश्चात् बिना किसी बिलम्ब के थाने में जो कि घटनास्थल से 10 किलो मीटर दूरी पर स्थित है दर्ज कराई गई है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी स्पष्ट रूप से घटना घटित होने का उल्लेख करते हुए आरोपीगण के द्वारा मारपीट करना बताते हुए दर्ज कराई जाना तत्कालीन ए.एस.आई बी.एल. बंसल अ०सा० 4 के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 4 फरियादी के बताए अनुसार लेखबद्ध करना और उस पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट बिना किसी बिलम्ब के घटना के तुरन्त पश्चात् दर्ज कराई गई है जिसके आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की सम्पुष्टि होती है। विवेचना अधिकारी के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 प्रमाणित किया गया है और साक्षियों के कथन भी लेखबद्ध किया जाना बताया है।

18. बचाव पक्ष के द्वारा फरियादी से आरोपीगण की पूर्व से रंजिश होना और इस रंजिश के कारण उन्हें झूठा लिप्त किये जाने का आधार लिया गया है और इससंबंध में उनके द्वारा भी फरियादी के विरुद्ध की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत अभियोगपत्र और दस्तावेज प्र.डी. 1 लगायत प्र.डी. 4 तक के पेश किए गए हैं और बचाव में स्वयं आरोपी शिवनाथ उर्फ अन्नू ब०सा० 1 का कथन कराया गया है। इस संबंध में मात्र इस आधार पर कि आरोपीगण के द्वारा भी फरियादी के विरुद्ध कोई रिपोर्ट की गई है और उनके विरुद्ध भी अपराध पंजीबद्ध है तो इस आधार पर यद्यपि दोनों के मध्य पूर्व से विवाद होना प्रमाणित है, किन्तु यह कोई ऐसा आधार नहीं है कि आरोपीगण को इस कारण वर्तमान घटना में झूठा लिप्त किया जा रहा हो।

19. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य पर उचित रूप से विचार कर एवं साक्ष्य का मूल्यांकन और विश्लेषण करते हुए आरोपीगण को धारा 323/34 भा०द०वि० के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराए जाने में विचारण न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार की वैधानिक या तथ्यात्मक त्रुटि की जानी नहीं पाई जाती है। इस संबंध में विचारण न्यायालय के द्वारा ठहराई गई दोषसिद्ध स्थिर रखी जाती है।

20. आरोपीगण को दिए गए दण्ड का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में बचाव पक्ष अधिवक्ता ने व्यक्त किया कि आरोपीगण को धारा 323/34 भा०द०वि० हेतु तीन-तीन माह के

सश्रम कारावास एवं दो सौ दो सौ रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया जो कि अति कठोर है। घटना अचानक घटित हुई है इस दौरान आरोपीगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है। उनके द्वारा सन् 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है और लगातार उपस्थित हो रहे हैं। ऐसी दशा में दण्ड के प्रश्न पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किये जाने का निवेदन उनके द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर भी विचारण न्यायालय के द्वारा उचित रूप से विचार नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में विचार किये जाने का निवेदन किया गया है।

21. सर्वप्रथम आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का जहाँ तक प्रश्न है, आरोपीगण के विरुद्ध धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत अपराध प्रमाणित होना पाया गया है। अधीनस्थ विचारण न्यायालय के द्वारा आरोपीगण को आपराधिक परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार करते हुए उन्हें प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं पाया गया है। आरोपीगण के विरुद्ध प्रमाणित अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों में जो कि अपराध की प्रकृति को देखते हुए उन्हें परवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित नहीं है।

22. जहाँ तक आरोपीगण को धारा 323/34 भा0दं0वि0 के अंतर्गत दिए गए दण्ड का प्रश्न है। आरोपीगण को उक्त धाराओं के अंतर्गत प्रत्येक को 03 माह के सश्रम कारावास 200/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। आहत को केवल मात्र सिर में एक चोट और कोहनी की चोट वह स्वयं के गिरने से आना बता रहा है। आरोपीगण का कोई पूर्व का आपराधिक रिकार्ड भी नहीं है तथा सन् 2011 से विचारण का सामना कर रहे हैं। ऐसी दशा में उपरोक्त सभी तथ्यों, परिस्थितियों को देखते हुए जो कि इस संबंध में विचार करते हुए आरोपीगण को अधिरोपित तीन-तीन माह के दण्डादेश को अपास्त करते हुए उनको अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि बढ़ाया जाना उचित होगा। आरोपीगण को धारा 323/34 भा0दं0वि0 के आरोप हेतु प्रत्येक आरोपी को 1000/- 1000/- के अर्थदण्ड से दंडित किये जाने का आदेश दिया जाता है। आरोपीगण के द्वारा पूर्व में जमा की गई अर्थदण्ड की राशि उन्हें अधिरोपित अर्थदण्ड में समायोजित की जाए। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में प्रत्येक आरोपी को 02 माह का सश्रम कारावास भुगताया जाए। आरोपीगण अर्थदण्ड की राशि 05 दिवस के अंदर अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराए अन्यथा सजा भुगतने हेतु तत्पर रहे। आरोपीगण के जमानत मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

23. अर्थदण्ड की राशि जमा होने पर 1500/- रूपए आहत रामबीरसिंह पुत्र जगमोहन निवासी ग्राम श्यामपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड म0प्र0 को प्रतिकर स्वरूप दिलाए जाने का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिया जाता है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय

प्रतिकर अदायगी बावत् तत्परता से कार्यवाही करे।

24. निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जाए।  
निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित व  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

(डी०सी०थपलियाल)  
अपर सत्र न्यायाधीश  
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)